

न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील निर्वाचन सं० 23/2020

1. गजेन्द्र पुत्र रामकुमार
2. गायत्री पत्नी गजेन्द्र
3. रणवीर पुत्र रामकुमार
4. वीरादेवी पत्नी रणवीर
5. मोहन सिंह पुत्र रामकुमार
6. ममता पत्नी मोहन सिंह
7. पुष्पेन्द्र पुत्र गजेन्द्र सिंह
8. विश्वास कुमार पुत्र रणवीर सिंह
9. अंकित कुमार पुत्र रणवीर सिंह
निवासीयान – भगवती कॉलोनी, वार्ड संख्या 1 कस्बा बयाना जाति जाट, जिला
भरतपुर (राज०)
10. प्रभा पत्नी प्रहलाद, निवासी श्याम सरोवर वार्ड नं० 3 कस्बा बयाना
11. प्रहलाद पुत्र श्याम शरण गोयल, निवासी श्याम सरोवर वार्ड नं० 3 कस्बा बयाना
12. निरमा पत्नी सुरेश गोयल, निवासी – वार्ड नं० – श्याम सरोवर वार्ड नं० 3 कस्बा बयाना

..... अपीलान्ट्स

बनाम

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस.डी.एम) बयाना

..... रेस्पोंडेंट


अपील खिलाफ आदेश दिनांक 19.11.2020.
निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस.डी.एम)
बयाना ।

निर्णय

दिनांक : 07.12.2020

अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील विरुद्ध आदेश निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस.डी.एम.), बयाना जिला भरतपुर दिनांक 19.11.2020 के पेश की है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलान्ट्स संख्या 01 लगायत 09 वार्ड संख्या 01 में व





जिला कलक्टर
भरतपुर (राज०)

10,11,12 वार्ड संख्या 03 कस्बा बयाना में मय परिवार निवास करते हैं। अपीलान्ट्स का नाम बयाना विधान सभा की वोटर लिस्ट भगवती कॉलोनी वार्ड संख्या 01 में क्रम संख्या 543 लगायत 550 पर अंकित है परन्तु सहवन से नगरपालिका की वोटर लिस्ट में वार्ड सं० 1 में नाम दर्ज होने से रह गया है। इस बावत अपीलान्ट्स ने प्रारूप संख्या 03 प्रस्तुत किया था, जिसके साथ आधार कार्ड, राशनकार्ड भी पेश किये थे। बी०एल०ओ० द्वारा अपीलान्ट 01 लगायत 09 को वार्ड संख्या 1 में निवास करना बताये जाने के बावजूद भी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस.डी.एम.), बयाना ने असत्य कारण अंकित कर आवेदन निरस्त कर दिये हैं। अपीलान्ट्स द्वारा अपील स्वीकार कर अपीलान्ट संख्या 01 लगायत 09 का नाम वार्ड संख्या 01 में व अपीलान्ट संख्या 10,11,12 के नाम वार्ड संख्या 03 कस्बा बयाना में जोड़ने की प्रार्थना की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस.डी.एम.), बयाना से तहत पत्रावली व टिप्पणी तलव की गई, जो संलग्न मिसिल है।

पत्रावलियों का अवलोकन किया। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस.डी.एम.) बयाना ने अपनी टिप्पणी में अंकित किया है " अपीलान्ट संख्या 01 लगायत 09 वार्ड संख्या 01 कस्बा बयाना में निवास नहीं करते हैं। इनके नाम ग्राम पंचायत महलोनी की मतदाता सूची में अंकित हैं। इस प्रकार इनके नाम अन्य क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में नाम अंकित होने से नगरपालिका बयाना की मतदाता सूची में नाम नहीं जोड़े जा सकते। इसी प्रकार अपीलान्ट संख्या 10,11,12 द्वारा अपने आवेदन के साथ वार्ड संख्या 03 में निवास करने बावत ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है, जिसके आधार पर इनके नाम निर्वाचक नामावली में जोड़ा जा सके "।


अपीलान्ट संख्या 10,11,12 के द्वारा वार्ड संख्या 03 कस्बा बयाना में आवासरत होने सम्बन्धी कोई दस्तावेज अपने आवेदन के साथ प्रस्तुत नहीं करने से इनके नाम मतदाता सूची में नहीं जोड़े गए हैं। इसी प्रकार अपीलान्ट संख्या 01 लगायत 09 के नाम ग्राम पंचायत महलोनी की मतदाता सूची में दर्ज हैं। इनके द्वारा ग्राम पंचायत महलोनी से नाम काटने बाबत किसी भी प्रकार का कोई आवेदन भी प्रस्तुत करना नहीं पाया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान जयपुर के परिपत्र दिनांक 09.11.2020 के दिशा निर्देशों के अनुसार यदि आवेदक के


जिला कलक्टर
जयपुर, राज०

पूर्व में किसी अन्य क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में नाम अंकित हो तो वर्तमान नगरपालिका निर्वाचक नामावली में नाम नहीं जोड़ा जा सकता है एवं किसी व्यक्ति का नाम दो स्थानों पर नहीं हो सकता। इनके नाम ग्राम पंचायत महलोनी की मतदाता सूची में नाम दर्ज होना पाये जाने पर इनके आवेदन पत्र खारिज किये गए हैं। ई0आर0ओ0 बयाना द्वारा पारित अपीलाधीन आज्ञा विधिवत है। जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं पाते हैं। अस्तु अपील अपीलान्त काबिल खारिज के रहती है। -

अतः आदेश है कि :-

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट्स खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति के साथ तहत पत्रावली वापिस लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 07.12.2020 को लिखाया जाकर सुनाया गया।



(नथमल डिडेल)
जिला कलक्टर,
भरतपुर